



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124860

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18122 वर्ष 2026

महेन्द्र कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: जनार्दन यादव, मणिकांत यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: चन्द्र कुमार राय, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र कुमार राय और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ से संबंधित वाद अपराध संख्या- 92 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा- 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बी.एन.एस. में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्राथमिकी के अनुसार, सह-अभिवुक्त कृष्ण चन्द राय के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाया गया है, जिसने प्रथम सूचनादाता को भूमि खरीदने के लिए प्रेरित किया था, तत्पश्चात विभिन्न खातों में राशि भी स्थानांतरित की गई थी, जिसमें आवेदक की व्यावसायिक भागीदार ऊषा देवी द्वारा आवेदक के खाते में स्थानांतरित किए गए 50,000/- रुपये भी शामिल हैं, यद्यपि आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है और यहाँ तक कि आवेदक ने किसी भी दस्तावेज का निष्पादन भी नहीं किया है। इसलिए, आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हीरापट्टी शाखा द्वारा जारी दिनांक 18.05.2026 के ड्राफ्ट संख्या- 916756 के माध्यम से 50,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 23.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यदि आवेदक 50,000/- रुपये वापस करने के लिए तैयार है, तो उन्हें वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, परंतु वे उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

6. उपरोक्त तर्कों पर विचार करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा आवेदक ने प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता को ऊपर उल्लिखित 50,000/- रुपये का ड्राफ्ट सौंप दिया है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ व विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही जमानत देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में पारित निर्णय के अधिदेश और इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- महेन्द्र कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. आवेदक के साथ-साथ प्रतिभुओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ, के साथ साथ पिला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, जो दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत हुआ,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति आजमगढ़ कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजी जाए।

3 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"